भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-8

उत्तर देने की तारीख-01/12/2025

राजस्थान में स्कूलों की अवसंरचना

8. श्री लुम्बाराम चौधरी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा राजस्थान विशेष रूप से जालौर और सिरोही जिलों में कंप्यूटर/प्रयोगशालाओं, विज्ञान प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, छात्राओं के लिए शौचालय, पेयजल, शिक्षकों की कमी जैसी अवसंरचना की समस्याओं का समाधान करने के लिए उठाए गए ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए सरकार की क्या रणनीति है, ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके और उनका शैक्षिक भविष्य सुरक्षित हो सके?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्यों और सघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में हैं। समग्र शिक्षा, स्टार्स और पीएम श्री जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत, मौजूदा सरकारी स्कूलों को मजबूत करने और बुनियादी सुविधाओं के सृजन और संवर्धन के लिए जैसे अतिरिक्त कक्षाएं, लड़कों/लड़कियों/सीडब्ल्यूएसएन के लिए शौचालय, पेयजल, बिजली, बाउंड्री वॉल, पुस्तकालय, आईसीटी और आभासी कक्षा के लिए राज्यों और सघ राज्य क्षेत्रों को सहायता दी जाती है जो एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) डाटाबेस से निर्धारित अंतरालों और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर आधारित है। स्कूलों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता का आकलन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रत्येक वर्ष उनकी आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर वृद्धिशील आधार पर किया जाता है और यह उनकी वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) में परिलक्षित होता है। इसके बाद राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदण्डों,

पूर्व में स्वीकृत कार्यों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति और बजटीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इन योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन/आकलन किया जाता है।

वर्ष 2018-19 से 2025-26 के लिए जालोर और सिरोही जिलों सहित राजस्थान राज्य के लिए समग्र शिक्षा के तहत बुनियादी ढांचे की प्रगति का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	**गतिविधि**	**अनुमोदित**	**पूर्ण**
1	अतिरिक्त कक्षा	5239	4715
2	भवन रहित स्कूल	180	124
3	लड़कों का शौचालय	747	441
4	लड़कियों का शौचालय	724	616
5	बड़ी मरम्मत	806	793
6	चारदीवारी	328	328
7	पीने के पानी की सुविधा की उपलब्धता	971	771
8	पुस्तकालय	2250	1783
9	कंप्यूटर कक्ष	1958	1574
10	कला शिल्प कक्ष	1627	1587
11	विद्युतीकरण	330	330
12	विज्ञान प्रयोगशाला	2868	2340
13	जीव विज्ञान प्रयोगशाला	816	100
14	रसायन शास्त्र प्रयोगशाला	718	103
15	भौतिकी प्रयोगशाला	722	100
कुल		20284	15705

स्रोत: प्रबंध पोर्टल

(ख): परीक्षाएं स्कूल शिक्षा बोर्ड के दायरे में आती हैं, जिनमें से अधिकांश संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अपनी ओर से शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में राष्ट्रीय मूल्यांकन केन्द्र-परख के माध्यम से शिक्षा के पांच प्रमुख क्षेत्रों में मानकों को सुसंगत बनाने के उद्देश्य से 'बोर्डों की समकक्षता' में एक व्यापक अध्ययन किया है जैसे; भारत में सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों में प्रशासन, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, बुनियादी ढांचा और समावेशिता। इस कार्य के मुख्य निष्कर्ष और नीतिगत सिफारिशें यहां देखी जा सकती हैं।
https://ncert.nic.in/parakh/pdf/Equivalence_of_Boards_Report.pdf.

विशेष रूप से मूल्यांकन के क्षेत्र में, समानता प्राप्त करने के लिए सिफारिशों को लागू करने हेतु शिक्षा मंत्रालय, परख, एनसीईआरटी के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी, वित्तीय और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान कर रहा है। इस तरह की सहायता में योग्यता-आधारित मूल्यांकन के अनुसार पेपर बनाने वाले और परीक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाओं, दिशा-निर्देश तैयार करने, प्रश्न पत्र और प्रश्न बैंक तैयार करने के लिए ब्लूप्रिंट और मानकीकृत टेम्पलेट, और समग्र प्रगति कार्ड (एचपीसी) के कार्यान्वयन के लिए वित्तपोषण, बोर्डों का डिजिटलीकरण और अन्य कार्यों के साथ पेपर बनाने वाले कैडर का विकास शामिल है।

इसके अतिरिक्त, स्कूल शिक्षा बोर्डों के बीच समतुल्यता में तेजी लाने के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने सितंबर 2025 में जारी राजपत्र अधिसूचना संख्या 1-22/2024-पीएमपी.6 के माध्यम से भारत सरकार ने सभी मान्यता प्राप्त बोर्डों के कक्षा 10 और 12 के प्रमाण-पत्रों हेतु समतुल्यता प्रदान करने की जिम्मेदारी परख, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को सौंपी है।

****